क्रम संख्या - 257 (ग-5)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू0/एन0 पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

इलाहाबाद, मंगलवार, 7 नवम्बर, 2006 ई०
(कार्तिक 16, 1928 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश सरकार

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या 1660/पांच-8-2006-52 विविध/2000

दिनांक 7 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

सा0प0नि0--44

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1954) की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् नियमावली का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव करते हैं, सर्वसाधारण की सूचना के लिए और नियमावली के उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में आपत्तियां या सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से उक्त धारा के अधीन यथा अपेक्षित एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2--उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, लिखित में सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा अनुभाग-8, जनपथ भवन, लखनऊ को सम्बोधित की जानी चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

उत्तर प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006

1--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2--नियम-2 का संशोधन--उत्तर प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1976 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,	(2) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 37, 1954) से है।	(क) "अधिनियम" का तात्पर्य खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 37, 1954) से है।
(ख) "खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" का तात्पर्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है।	(ख) "खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" का तात्पर्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है।
(ग) "खाद्य निरीक्षक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन राज्य सरकार द्वारा या अधिनियम की धारा 14 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है।	(ग) "खाद्य निरीक्षक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है।
(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र से है।	(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र से है।
(ङ) "लोक विश्लेषक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है, तथा	(ङ) "लोक विश्लेषक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है, और
(च) "नियमावली" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन बनायी गयी नियमावली से है।	(च) "नियमावली" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन बनायी गयी नियमावली से है।
	(छ) "लाइसेन्स की अवधि" का तात्पर्य पांच वर्ष या एक वर्ष या जब लाइसेंस धारी की मृत्यु हो जाय, जो भी पहले हो, से है, और
	(ज) "प्रतिभूति" का तात्पर्य लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस की शर्त के निष्पादन के लिए प्रतिभूति स्वरूप किसी धनराशि के निक्षेप से है।

3--नियम 4, 5 और 6 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 4, 5 और 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :--

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम		स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
(4) (1) निम्नलिखित प्राधिकारियों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित स्थानीय क्षेत्रों के संबंध में खाद्य पदार्थों या कोई विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ या उसके किसी वर्ग के खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, संग्रह करने, बेचने और उसका वितरण करने के लिये विहित प्रपत्र में लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है--		(4) (1) नीचे उल्लिखित प्राधिकारियों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित स्थानीय क्षेत्रों के संबंध में खाद्य पदार्थों या खाद्य के किसी विनिर्दिष्ट पदार्थों का खाद्य पदार्थ के वर्ग को बनाने या बेचने, संग्रह करने, बेचने और उसका वितरण करने के लिये विहित प्रपत्र में लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है--	
(क) उत्तर प्रदेश में समस्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी या नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी	उनकी अधिकारिता के भीतर महापालिका या नगरपालिका क्षेत्र।	(क) उत्तर प्रदेश में समस्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी या नगर पालिका के चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य	उनकी अधिकारिता के भीतर नगर निगम क्षेत्र।
(ख) उत्तर प्रदेश में समस्त उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी	उनकी अधिकारिता के भीतर ग्राम्य तथा नगर क्षेत्र।	(ख) उत्तर प्रदेश में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य या मुख्य खाद्य निरीक्षक	उनकी अधिकारिता के भीतर ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र।
(ग) उत्तर प्रदेश में छावनी बोर्ड के ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	उनकी अधिकारिता के भीतर छावनी क्षेत्र।	(ग) उत्तर प्रदेश में छावनी बोर्ड के ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	उनकी अधिकारिता के भीतर छावनी क्षेत्र।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम		स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
(घ) उत्तर प्रदेश के भीतर विभिन्न भारतीय रेलों के प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी।	उनकी अधिकारिता के भीतर रेलवे कालोनी सहित रेलवे-भू-गृहादि।	(घ) उत्तर प्रदेश के भीतर विभिन्न भारतीय रेलों के प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी।	उनकी अधिकारिता के भीतर विभिन्न भारतीय रेलवे कालोनी सहित रेलवे-भू-गृहादि।
		(ङ) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (सात) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी।	सम्बन्धित क्षेत्र

(2) ऊपर उपनियम (1) में उल्लिखित प्राधिकारी, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ 'लाइसेंस प्राधिकारी' कहलायेंगे।

(5) इस नियमावली के अधीन लाइसेंस दिये जाने के लिए आवेदन-पत्र 1 में सम्बद्ध क्षेत्र के लाइसेंस प्राधिकारी को दिया जायेगा, जो प्रपत्र 2 में लाइसेंस देगा। प्रत्येक लाइसेंस धिकारी प्रपत्र 3 में एक रजिस्टर रखेगा।

(2) ऊपर उपनियम (1) में उल्लिखित प्राधिकारी, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ 'लाइसेंस प्राधिकारी' कहलायेंगे।

(5) इस नियमावली के अधीन लाइसेंस दिये जाने के लिए परिशिष्ट 'ख' के अनुसार प्रतिभूति धनराशि और लाइसेंस फीस की जमा रसीद सहित आवेदन-पत्र प्रपत्र-1 में सम्बद्ध क्षेत्र के लाइसेंस प्राधिकारी को दिया जायेगा यह भी आवश्यक है कि आवेदन-पत्र में लाइसेंसधारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए जिसकी राज्य प्राधिकारियों द्वारा जांच किये जाने की और समुचित रूप से शुद्ध किये जाने की आवश्यकता है। लाइसेंस प्राधिकारी समुचित मामलों में प्रपत्र दो में लाइसेंस प्रदान करेगा।

प्रत्येक लाइसेंस प्राधिकारी प्रपत्र तीन में एक रजिस्टर रखेगा।

टिप्पणी--लाइसेंस के प्रपत्र और आवेदन-पत्र के प्रपत्र क्रमशः 2 पैसा और 3 पैसा प्रति प्रपत्र की दर से बेंचे जायेंगे और वे लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं।

टिप्पणी--लाइसेंस के प्रपत्र और आवेदन-पत्र के प्रपत्र, क्रमशः 5 रुपये (रुपये पांच मात्र) और 10 रुपये (रुपये दस मात्र) प्रति प्रपत्र की दर से बेंचे जायेंगे और वे लाइसेंस प्राधिकारियों से प्राप्त किये जा सकते हैं।

6--(1) इस नियमावली के अधीन जारी किये गये प्रत्येक लाइसेंस के लिए फीस किसी विनिर्माता या थोक व्यापारी से 10 रु0 (केवल दस रुपया) फुटकर व्यापारी से 4 रु0 (केवल चार रुपये) तथा किसी फेरी वाले से 2 रु0 (केवल दो रुपये) और धातु के बने बिल्ले (बैज) की लागत के लिए 1 रुपया केवल एक रुपया) ली जायेगीं।

6--(1) इस नियमावली के अधीन जारी किये गये प्रत्येक लाइसेंस के लिए नीचे अनुसूची में दिये गये विनिर्माता, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और फेरी वाले पर फीस और प्रतिभूति धनराशि प्रभारित की जायेगी और फेरी वाले पर 10 रु0 (रुपये दस मात्र) की अतिरिक्त धनराशि धातु के बने बिल्ले (बैज) की लागत के लिए प्रभारित की जायेगी--

अनुसूची

लाइसेंस की अवधि, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति

क्र0सं0		पांच वर्ष	एक वर्ष
		रु0	रु0
1	विनिर्माता और थोक व्यापारी	400.00	100.00
2	फुटकर व्यापारी	200.00	50.00
3	फेरी वाले	100.00	25.00

यदि व्यापार कर का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा कर दिया गया हो तो नीचे दिये गये अनुसार

लाइसेंस हेतु प्रतिभूति की धनराशि

1--10,000.00 रुपये तक व्यापार-कर	शून्य
2--10,001.00 से 1,00,000.00 रुपये तक व्यापार-कर	1000.00 रु0
3--1,00,001.00 से 5,00,000.00 रुपये तक व्यापार-कर	3000.00 रु0
4--5,00,000.00 से 10,00,000.00 रुपये तक व्यापार-कर	15,000.00 रु0
5--10,00,000.00 रुपये से अधिक व्यापार-कर	50,000.00 रु0

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) यदि लाइसेंस की मूल प्रति विरूपित हो जाय, क्षत हो जाये या खो जाय तो इस नियम के अधीन किसी लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करने के लिए विनिर्माता या थोक व्यापारी से 3 रु0 (केवल तीन रुपये) फुटकर व्यापारी से 2 रु0 (केवल दो रुपये) तथा फेरी वाले से 1 रु0 (केवल एक रुपया) फीस ली जायेगी। धातु निर्मित मूल बिल्ला खोने के कारण उसके स्थान पर दूसरा बिल्ला देने के मामले में 1रु0 (केवल एक रुपया) परिव्यय लिया जायेगा।	(2) यदि लाइसेंस की मूल प्रति विरूपित हो जाय, क्षतिग्रस्त हो जाये या खो जाय तो इस नियम के अधीन किसी लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करने के लिए लाइसेन्स फीस के आधी धनराशि के बराबर धनराशि प्रभारित की जायेगी।
	उपर्युक्त उपनियम (1) और (2) के अधीन वसूली की गयी फीस राज्य प्राप्ति शीर्षक "XXIV सार्वजनिक स्वास्थ्य फीस तथा जुर्माने" इत्यादि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन "अनुज्ञप्ति शुल्क से आय" के अन्तर्गत जमा की जायेगी।
(3) इस नियमावली के प्रयोजनार्थ :--	(3) इस नियमावली के प्रयोजनार्थ :--
(क) "विनिर्माता" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी के हाथ बेचने के लिए किसी एक दिन में 20 किलोग्राम से अधिक परिमाण में कोई खाद्य पदार्थ बनाता है या जो कारखाना अधिनियम, 1948 में यथा परिभाषित किसी कारखाने में कोई खाद्य पदार्थ बनाता है,	(क) "विनिर्माता" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी को बेचने के लिए किसी एक दिन में 20 किलोग्राम से अधिक परिमाण में कोई खाद्य पदार्थ बनाता है या जो कारखाना अधिनियम, 1948 में यथा परिभाषित किसी कारखाने में कोई खाद्य पदार्थ बनाता है,
(ख) "थोक व्यापारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो साधारणतया किसी खाद्य पदार्थ को किसी फुटकर व्यापारी के हाथ बेचता है,	(ख) "थोक व्यापारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो साधारणतया किसी खाद्य पदार्थ को किसी फुटकर व्यापारी को बेचता है,
(ग) "फुटकर व्यापारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी खाद्य पदार्थ को व्यक्तिशः उपभोक्ताओं के हाथ सीधे बेचता है,	(ग) "फुटकर व्यापारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी खाद्य पदार्थ को व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता को सीधे बेचता है,
(घ) "फेरीवाले" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी खाद्य पदार्थ को किसी निश्चित भू-गृहादि पर न बेच कर उसे घर-घर जाकर बेचने का कारोबार करता है।	(घ) "फेरीवाले" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी निश्चित भू-गृहादि पर न बेच कर उसे घर-घर जाकर बेचने का कारोबार करता है।

4--**नियम 8 का संशोधन**--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम
8(1) नीचे स्तम्भ-1 में उल्लिखित प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 2(8) (2) के प्रयोजनार्थ स्तम्भ-2 में प्रत्येक के सामने इंगित क्षेत्रों के सम्बन्ध में "स्थानीय प्राधिकारी" होंगे--	8(1) नियम 4 के उपनियम (1) में उल्लिखित प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (8) के प्रयोजनार्थ स्तम्भ दो में प्रत्येक के सामने इंगित क्षेत्रों के सम्बन्ध में "स्थानीय प्राधिकारी" होंगे--
स्तम्भ-1 क--सम्बद्ध परगनों के प्रभारी मजिस्ट्रेट	स्तम्भ-2 ग्राम्य क्षेत्र जिसके अन्तर्गत टाउन एरिया भी है।
स्तम्भ-1 क--सम्बद्ध परगनों के प्रभारी मजिस्ट्रेट	स्तम्भ-2 टाउन एरिया सहित ग्रामीण क्षेत्र

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
ख--गजट में अधिसूचना द्वारा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा "स्थानीय क्षेत्र" के रूप में घोषित किसी क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी जो किसी भी नाम से पुकारा जाय।	सम्बन्धित क्षेत्र
(2) लाइसेंस 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले एक वर्ष की अवधि या उसके किसी भाग के लिये दिया जा सकता है।	(2) लाइसेंस 5 वर्ष या एक वर्ष से अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने और अपेक्षित लाइसेंस फीस और प्रतिभूति के भुगतान के पश्चात् ही दिया जा सकता है।
(3) लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र वर्तमान लाइसेंस के समाप्त होने के दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व दिया जाय। उक्त लाइसेंस की नवीकरण के लिए देय फीस वही होगी जो नियम 6(1) के अधीन विहित है :	(3) लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र वर्तमान लाइसेंस के समाप्त होने के दिनांक से कम से तीस दिन पूर्व, चिकित्सा प्रमाण-पत्र और लाइसेंस फीस की रसीद सहित दिया जायेगा यदि पूर्व में प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं की गयी है तो उससे प्रतिभूति धनराशि जमा की रसीद को संलग्न करने की अपेक्षा की जायेगी :
प्रतिबन्ध यह है कि यदि आवेदक लाइसेंस समाप्त होने के पश्चात् किन्तु ऐसी समाप्ति के एक मास के भीतर ही ऐसे लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र देता है तो लाइसेंस के नवीकरण के लिए देय फीस वही होगी जो नियम 6(1) के अधीन यथाविहित फीस और समान धनराशि की अतिरिक्त फीस को मिलाकर हो।	प्रतिबन्ध यह है कि यदि आवेदक लाइसेंस समाप्त होने के पश्चात् किन्तु ऐसी समाप्ति के एक मास के भीतर ऐसे लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र देता है तो लाइसेंस के नवीकरण के लिए देय फीस वही होगी जो परिशिष्ट "ख" में यथा विहित है।

5--नियम 11 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 11 के स्थान पर स्तम्भ- 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् --

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11--अधिनियम की धारा 12 के अधीन किसी क्रेता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लोक विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजे गये नमूनों के विश्लेषण फीस 20 रुपया (केवल बीस रुपया) होगी।	11--अधिनियम की धारा 12 के अधीन किसी क्रेता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य प्राधिकारी के माध्यम से लोक विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजे गये नमूने की विश्लेषण फीस 100.00 रुपया (सौ रुपया मात्र) और अन्य मामलों में 200.00 रुपया (दो सौ रुपया मात्र) होगी।

आज्ञा से,
अरूण कुमार मिश्र,
प्रमुख सचिव।